भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3062

(दिनांक 14.03.2018 को उत्तर के लिए)

प्रतिनियुक्ति भत्ता

3062. श्री सुमेधानन्द सरस्वती :
श्री ओम प्रकाश यादव :
श्री रोड़मल नागर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनियुक्ति भत्ता बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार पर इससे कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा; और

(ग) इनसे विभिन्न राज्यों में राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार केन्द्र सरकार के कितने कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है ?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : दिनांक 6 जुलाई, 2017 की संकल्प संख्या 11-1/2016-आईसी के तहत व्यय विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति भत्तों (ड्यूटी) की दरों में संशोधन संबंधी सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, इस विभाग ने दिनांक 24 नवम्बर, 2017 को कार्यालय ज्ञापन सं. 2/11/2017-स्था.(वेतन-।।) जारी किया है जिसमें प्रतिनियुक्ति भत्तों की दरों में संशोधन किया गया है।

अब, उसी स्थान (स्टेशन) पर प्रतिनियुक्ति के मामले में, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता मूल वेतन का 5% निर्धारित किया जाता है जो 4500/- रू. प्रति माह की अधिकतम राशि के अध्यधीन है और स्थान परिवर्तन होने पर प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता मूल वेतन का 10% निर्धारित किया जाता है, जो 9000/-रू. प्रति माह की अधिकतम राशि के अध्यधीन है। यह कई अन्य शर्तों के अध्यधीन है।

(ख) : सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग/भत्ते संबंधी समिति द्वारा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्तों के संबंध में अलग से किसी प्रकार की वित्तीय विवक्षाएं नहीं दी गई हैं।

(ग) : इस संबंध में ऐसे कोई केन्द्रीयकृत आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

*****